

Govt. Nirbhay Singh Patel Science College

List of Full time teachers 2021-2022

S. No.	Name of the Full-time teacher	Designation	Name of the Department
1	Dr. Kusumlata Nigwal	Principal	Political Science
2	Dr. D.D. Mahajan	Professor	Chemistry
3	Dr. Madhu Tiwari	Professor	Maths
4	Dr. R.K. Dixit	Professor	Physics
5	Dr. Manoj khare	Professor	Chemistry
6	Dr. Sanjay Jain	Professor	Maths
7	Dr. Preeti Bhatt	Professor	English
8	Dr. Sadhana Vivrekar	Associate Professor	Botany
9	Dr. Sanchita Shrivastav	Associate Professor	Botany
10	Dr. Shobha Chaturvedi	Associate Professor	Hindi
11	Dr. Anjula Poras	Associate Professor	Zoology
12	Prof. Keerti Tiwari	Assistant Professor	Zoology
13	Prof. Anup Chaturvedi	Assistant Professor	Botany
14	Dr. Vikas Kaushik	Sports Officer	Sports
15	Dr. Vandana Rajput	Gueat Faculty	Chemistry
16	Mr. Shashank Dubey	Gueat Faculty	Physics
17	Dr. Chetanan Muraniya	Gueat Faculty	Chemistry
18	Dr. Geeta Atariya	Gueat Faculty	Chemistry
19	Dr. Sangeeta Rana	Gueat Faculty	Hindi
20	Dr. Suresh Sarothiya	Gueat Faculty	Hindi
21	Mrs. Anuja Bakare	Gueat Faculty	Physics
22	Dr. Sharda Singh	Gueat Faculty	English
23	Miss Kalpana Sunwane	Gueat Faculty	Computer Science
24	Miss Swati Joshi	Gueat Faculty	Computer Science
25	Miss Deepika Jain	Gueat Faculty	Computer Science
26	Miss Pooja Gulganwa	Gueat Faculty	Computer Science
27	Mr. Bhupendra Singh	Gueat Faculty	Computer Science
28	Mr. Deepak Yadav	Gueat Faculty	Computer Science
29	Miss. Aarti Verma	Gueat Faculty	Biotechnology
30	Mrs. Rupali Bhamoliya	Gueat Faculty	Biotechnology

संख्या - 178/03

इन्दौर, दिनांक

प्रति

178

आयुक्त,
उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन,
सतपुरडा भवन, 5 वीं मंजिल,
भोपाल (म.प्र.)
=====

विषय: डॉ. श्रीमती मनोज खरे, सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र के कार्यभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:- विशेष वर्तमान अधिकारी, उच्च शिक्षा, भोपाल के आदेश क्र. 920/630/आउशि/शाखा-5/2003 भोपाल दिनांक 4.9.03

==0==

संदर्भित आदेश के द्वारा डॉ. श्रीमती मनोज खरे, सहा. प्रा. रसायनशास्त्र का स्थानान्तर शासकीय नूतन कन्या महाविद्यालय, जिला भवन, इन्दौर से इस महाविद्यालय में होने के कारण डॉ. श्रीमती मनोज खरे ने इस महाविद्यालय में दिनांक 06.09.03 को अपराह्न में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

तुम्हारे एवं आवश्यक कार्यवाही के प्रेषित ।

EEC110

डॉ. एस्. डी. गौतम
प्राचार्य,

शास. नवीन विज्ञान महाविद्यालय,

इन्दौर (म.प्र.)

इन्दौर, दिनांक 17/9/03

सं.क्र. - 964/स्था/2003

प्रतिलिपि - सूचना के प्रेषित ।

- 1। अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर-उज्जैन संभाग, इन्दौर.
- 2। प्राचार्य, शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, इन्दौर.
- 3। लेखापाल, शासकीय नवीन विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर.
- 4। डॉ. श्रीमती मनोज खरे, सहा. प्रा. रसायनशास्त्र, शा. न. वि. महा. इन्दौर.
- 5। व्यक्तिगत नस्ती.
- 6। स्थापना शाखा, शास. नवीन विज्ञान महा. इन्दौर.

डॉ. एस्. डी. गौतम
प्राचार्य,

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 20/09/2011

क्रमांक एफ 1-83/2011/38-1 :: राज्य शासन द्वारा डॉ० प्रीति भट्ट, सहायक प्राध्यापक(अंग्रेजी) माता जीजा बाई शा० महाविद्यालय मोतीतबेला, इन्दौर को निर्भय सिंह पटेल शा० महाविद्यालय, इन्दौर में स्वैच्छा के आधार पर आगामी आदेश तक स्थानांतरित करते हुए अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(Signature)

(सी०बी० पड़वार)

उप सचिव

म०प्र०शास, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 20/09/2011

पृ.क्र. एफ 1-83/2011/38-1

प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक, मा० मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग ।
- 2 महासूचनाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 3 आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
- 4 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर-उज्जैन सभाग,
उज्जैन, मध्यप्रदेश ।
- 5 प्राचार्य, माता जीजा बाई शा० महाविद्यालय मोतीतबेला, इन्दौर/
निर्भय सिंह पटेल शा० महाविद्यालय इन्दौर ।
- 6 जिला कोषालय अधिकारी, जिला इन्दौर ।
- 7 डॉ० प्रीति भट्ट, सहायक प्राध्यापक(अंग्रेजी) माता जीजा बाई शा०
महाविद्यालय मोतीतबेला, इन्दौर ।
- 8 वकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
आर्डर बुक ।

(Signature)

उप सचिव

म०प्र०शास, उच्च शिक्षा विभाग


मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
// आदेश //

भोपाल, दिनांक/8/12/2012

क्रमांक एफ 1-138/2012/38-1 :: राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को कालम नं० 4 में स्थानीय व्यवस्था के तहत स्थानांतरित करते हुए आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है :-

सं०	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	डॉ० शोभा चतुर्वेदी, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी	माता जीजा बाई शा० महाविद्यालय इन्दौर	निर्मय सिंह पटेल शा० महाविद्यालय, इन्दौर
2	डॉ० जयश्री भटनागर, सहा० प्रा० हिन्दी	निर्मय सिंह पटेल शा० महाविद्यालय, इन्दौर	माता जीजा बाई शा० महाविद्यालय इन्दौर

2/ स्थानांतरण नीति 2012-13 की कंडिका 13 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी०बी०पडदार)
उप सचिव


म०प्र०शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक/8/12/2012

पृ.क्रमांक एफ 1-138/2012/38-1
प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक, मा० मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग ।
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 3 आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
- 4 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश ।
- 5 जिला कोषालय अधिकारी, इन्दौर, म०प्र० ।
- 6 प्राचार्य, माता जीजा बाई शा० महाविद्यालय इन्दौर/निर्मय सिंह पटेल शा० महाविद्यालय, इन्दौर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

- 7 डॉ० शोभा चतुर्वेदी, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी, माता जीजा बाई शा० महाविद्यालय इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
- 8 डॉ० जयश्री भटनागर, सहा० प्रा० हिन्दी, निर्मय सिंह पटेल शा० महाविद्यालय, इन्दौर की ओर पालनार्थ ।
- 9 आर्डर बुक ।


उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 15.06.2015


क्रमांक एफ 1-41/2714/2015/38-1 :: राज्य शासन द्वारा प्राणीशास्त्र विषय के निम्नांकित सहायक प्राध्यापक को समान सामर्थ्य में कॉलम नम्बर (3) में दर्शाए स्थान पर आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से स्थानांतरित करते हुए पदस्थ किया जाता है :

नाम / पदनाम (1)	वर्तमान पदस्थापना (2)	नवीन पदस्थापना (3)	रिमांक (4)
श्रीमती अंजुला पोरस (महायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र)	शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर	शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर	स्थानीय
Smt Anjula Poras, Assistant Professor Zoology	Govt Holkar Science College, Indore	Govt Nirbhay Singh Patel Science College, Indore	Local

(2) स्थानांतरण आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6/-1/2015/एक/9 दिनांक 15 अप्रैल 2015 को जारी स्थानांतरण नीति, 2015-16 की समस्त शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


15/6/15

(ललित दाहिमा)
उप सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1-41/2715/2015/38-1


भोपाल, दिनांक 15.06.2015

प्रतिलिपि:

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, इंदौर उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क।
6. प्राचार्य, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर एवं शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर, मध्यप्रदेश।
7. सम्बंधित जिला कोषालय अधिकारी, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

8. संबंधित अधिकारी श्रीमती अंजुला पोरस, महायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय, इंदौर की ओर पालनार्थ।
9. आर्डर बुक।


15/6/15
उप सचिव

कार्यालय प्राचार्य शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक :- 91 / स्थापना / 2015
प्रति,

इन्दौर, दिनांक :- 11.8.15

शारदा सिंह
202, क्लासिक गोल्ड अपार्टमेन्ट
26, शंकर नगर
इन्दौर

विषय:- अंग्रेजी विषय के अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रण बाबद-

शासन द्वारा दिये गये चयन के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अंग्रेजी विषय के अतिथि विद्वान के रूप में आपको दिनांक 11-08-2015 से अगामी आदेश होने तक आमंत्रित किया जाता है। अतिथि विद्वान व्यवस्था के अर्न्तगत जनभागीदारी समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार उपस्थिति दिनांक से रुपये 12,000/- (अक्षरी रुपये बारह हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। जनभागीदारी निधि की उपलब्धता के अनुसार मानदेय घटाया या कम किया जा सकता है।

अतिथि विद्वान को किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अर्न्तगत नहीं माना जावेगा तथा वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अर्न्तगत लोक सेवक नहीं माने जावेंगे। बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण के प्राचार्य इस व्यवस्था को समाप्त कर सकेंगे। अतिथि विद्वान महाविद्यालय में अनुशासित एवं गरिमा पूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे। अध्यापन कार्य का निष्पादन प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार करेंगे। अध्यापन कार्य के अतिरिक्त भी प्राचार्य द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य सम्पन्न करना अनिवार्य होगा। आपको महाविद्यालयीन समय प्रातः 7.00 से दोपहर 1.40 तक रुकना अनिवार्य होगा। यदि आप बिना अनुमति के अपने कर्त्तव्य से 03 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहते हैं, तो आपकी सेवाएँ स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

आमंत्रण पत्र के पूर्व आपको इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि आपके विरुद्ध न्यायालय अथवा पुलिस में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधिन नहीं है साथ ही आप कि शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं हैं।

संयोजक
चयन समिति

P. S. K.
K. S. K.

पृ. क्रमांक:- / स्थापना / 2015

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विभागाध्यक्ष अंग्रेजी शास. निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर।
2. ग्रंथपाल, शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर।
3. लेखापाल, शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर।

S. P. K.
(डॉ. शोभा जोशी)

प्राचार्य
शास. निर्भय सिंह पटेल विज्ञान
महाविद्यालय, इन्दौर.
इन्दौर, दिनांक :-

S. P. K.
(डॉ. शोभा जोशी)

प्राचार्य
शास. निर्भय सिंह पटेल विज्ञान
महाविद्यालय, इन्दौर
Govt. Nirbhay Singh Patel
Science College, Indore

कार्यालय प्राचार्य शासकीय निर्गम सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर

017A स्थापना / 2015

इन्दौर, दिनांक - 19.8.15

पूजा गुलगोवा

165 धर्मराज कालोनी, एयरपोर्ट रोड़

इन्दौर (म.प्र.)

कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रण बाबद-

शासन द्वारा दिये गये चयन के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कम्प्यूटर विज्ञान विषय के विद्वान के रूप में आपको दिनांक 19-08-2015 से अगामी आदेश होने तक आमंत्रित किया जाता है।

अतिथि विद्वान व्यवस्था के अर्न्तगत जनभागीदारी समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार दिनांक से रुपये 12,000/- (अक्षरी रुपये बारह हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से मानदेय का किया जायेगा। जनभागीदारी निधि की उपलब्धता के अनुसार मानदेय घटाया या कम किया जा

है। अतिथि विद्वान को किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अर्न्तगत नहीं माना तथा वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अर्न्तगत लोक सेवक नहीं माने जावेंगे।

बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण के प्राचार्य इस व्यवस्था को समाप्त कर सकेंगे। अतिथि महाविद्यालय में अनुशासित एवं गरिमा पूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे। अध्यापन कार्य अध्यापन प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार करेंगे। अध्यापन कार्य के अतिरिक्त भी प्राचार्य तैयार किये गये अन्य कार्य सम्पन्न करना अनिवार्य होगा। आपको महाविद्यालयीन समय प्रातः 7:00 से 1:40 तक रुकना अनिवार्य होगा। यदि आप बिना अनुमति के अपने कर्त्तव्य से 03 दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं, तो आपकी सेवाएँ स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

आमंत्रण पत्र के पूर्व आपको इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि आपके विरुद्ध प्रत्यक्ष अथवा पुलिस में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधिन नहीं है साथ ही आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं हैं।

प्राचार्य

जन समिति

(डॉ. शोभा जोशी)

Principal

शा. निर्गम सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर
Scientific Department, INDORE
इन्दौर, दिनांक -

क्र.मांक. / स्थापना / 2015

प्रतिनिधि - मुख्यार्थ एवं प्राचार्य के द्वारा प्रेषित-

1. विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर।
2. प्रधान, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर।
3. लेखापाल, शासकीय निर्गम विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर।

(डॉ. शोभा जोशी)

Principal

शा. निर्गम सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर
Scientific Department, INDORE

कार्यालय प्राचार्य शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक -111) /स्थापना/2015
प्रति,

इन्दौर, दिनांक -10/9/15

श्रीमती अनुजा बाकरे
ए-201 वंसुधरा काम्प्लेक्स, वंदना नगर
इन्दौर

विषय:- भौतिकशास्त्र विषय के अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रण वाच्य-

शासन द्वारा दिये गये चयन के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भौतिकशास्त्र विषय के अतिथि विद्वान के रूप में आपको दिनांक 10-09-2015 से अगामी आदेश होने तक आमंत्रित किया जाता है।


अतिथि विद्वान व्यवस्था के अर्न्तगत जनभागीदारी समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार उपस्थिति दिनांक से रुपये 12,000/- (अक्षरी रुपये बारह हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। जनभागीदारी निधि की उपलब्धता के अनुसार मानदेय घटाया या कम किया जा सकता है।

अतिथि विद्वान को किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अर्न्तगत नहीं माना जावेगा तथा वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अर्न्तगत लोक सेवक नहीं माने जावेंगे।

बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण के प्राचार्य इस व्यवस्था को समाप्त कर सकेंगे। अतिथि विद्वान महाविद्यालय में अनुशासित एवं गरिमा पूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे। अध्यापन कार्य का निष्पादन प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार करेंगे। अध्यापन कार्य के अतिरिक्त भी प्राचार्य द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य सम्पन्न करना अनिवार्य होगा। आपका महाविद्यालयीन समय प्रातः 7.00 से दोपहर 1.40 तक रुकना अनिवार्य होगा। यदि आप बिना अनुमति के अपने कर्त्तव्य से 03 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहते हैं, तो आपकी सेवाएँ स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

आमंत्रण पत्र के पूर्व आपको इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि आपके विरुद्ध न्यायालय अथवा पुलिस में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधिन नहीं है साथ ही आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं हैं।

संयोजक
चयन समिति


(डॉ. शोभा जोशी)
प्राचार्य

शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर
इन्दौर, दिनांक -

पृ. क्रमांक- /स्थापना/2015

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विभागाध्यक्ष भौतिकशास्त्र शास. निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर।
2. ग्रंथपाल, शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर।
3. लेखापाल, शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर।


(डॉ. शोभा जोशी)
प्राचार्य

शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय निर्भयसिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक - 397 /स्थापना/ 2021

इन्दौर, दिनांक - 17/11/21

प्रति

श्रीमती रूपाली भगोलिया
106, स्वास्थ्य नगर
सुखलिया, इन्दौर

विषय:- जनभागीदारी मद से अतिथि विद्वान के कार्य हेतु आमंत्रण बायद-

शासन द्वारा दिये गये चयन के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जनभागीदारी मद से बायोटेक विषय हेतु अतिथि विद्वान के कार्य के रूप में आपको दिनांक 17-11-2021 से आगामी आदेश होने तक आमंत्रित किया जाता है।

अतिथि विद्वान के अर्न्तगत आपको उपस्थित दिनांक से प्रति कार्य दिवस रु. 1000/- (अक्षरी रु. एक हजार मात्र) के आधार पर मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

अतिथि विद्वान किसी भी हेंसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अर्न्तगत लोक सेवक की विधि निहित परिभाषा के अर्न्तगत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।

आमंत्रण पत्र के पूर्व आपको इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि आपके विरुद्ध न्यायालय अथवा पुलिस में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधिन नहीं है साथ ही आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं। शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही उक्त कार्य हेतु आपके नाम पर विचार किया जा सकेगा।



(डॉ. कुसुमलता निगम)
Principal
Govt. Nibhay Singh Patel Science College
INDORE

पुं क्रमांक:- /स्थापना/ 2021

इन्दौर, दिनांक -

प्रतिलिपि:- सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विभागाध्यक्ष बायोटेक विभाग, शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर।
2. लेखाशाखा, शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर।


(डॉ. कुसुमलता निगम)
Principal
Govt. Nibhay Singh Patel Science College
INDORE

क्यालय सांचव, जनभागादारी सामात

महाविद्यालय शास. निर्भयसिंह पटेल विज्ञान महा.
इन्दौर

दिनांक 01/07/2021

450/2021

नाम श्री शशांक डूवे

पिता/पति

पता LIG, A/92 जनता कालोनी, मंडसौर (म.प.)

विषय:- अतिथि विद्वान आमंत्रण 2020-21 के संबंध में आमंत्रण पत्र विषयक।

संदर्भ:- आपका आवेदन क्रमांक 111073 दिनांक 01/07/2021

—00—

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको शासकीय निर्भयसिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय में शैतिकशास्त्र विषय हेतु अतिथि विद्वान आमंत्रण के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2020-21 में अतिथि विद्वान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा। 2021-22 यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. यह आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेसे आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है।
2. अतिथि विद्वानों का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार होगा।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 अर्थात् 30 जून, 2022 के लिए सीमित होगा।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 01/07/2021 महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल, दिनांक 17-12-2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

Principal 13.7.21

Govt. Nishay Singh Patel Science College
जनभागीदारी समिति,
INDORE

दिनांक 01/07/2021

पू. क्रमांक 450-1/2021

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा इन्दौर संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति।

सचिव,
जनभागीदारी समिति

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

Principal

शासकीय महाविद्यालय Govt. Nirbhay Singh Patel Science College
INDORE

क्रमांक 658
प्रति,

दिनांक 09/09/2021

नाम डॉ. जीता उरेरिया
पिता/पति मन्मथराव उरेरिया
पता 122 2^म मील काग 249301 2^म मील उरेरिया

विषय: अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया-2019-2021-22
संदर्भ: आपका आवेदन क्रमांक 538234 दिनांक 09/09/2021

—00—

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको शासकीय शा. निरभय सिंह महाविद्यालय में 09/09/2021 विषय हेतु अतिथि विद्वान के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अतिथि विद्वान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।

यह आमंत्रण पत्र निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा:

1. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेज आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है।
2. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार होगा।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र अर्थात् 06 जून 2020 तक के लिए सीमित होगा।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 09/09/2021 तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल, दिनांक 17-12-2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।


सचिव,

जनभागीदारी समिति,

Principal

Govt. Nirbhay Singh Patel Science College
INDORE

कार्यालय अधिसूचना शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक - 1080/स्थापना/2015

इन्दौर, दिनांक - 21/09/15

प्रति

कल्याण सोनवणे
107/8 सर्वहारा नगर
इन्दौर (म.प्र.)

विषय-

कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रण बाबद-

शासन द्वारा दिये गये चयन के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अतिथि विद्वान के रूप में आपको दिनांक 02-09-2015 से अगामी आदेश होने तक आमंत्रित किया जाता है।

अतिथि विद्वान व्यवस्था के अर्न्तगत जनभागीदारी समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार उपर्युक्त दिनांक से रुपये 12,000/- (अक्षरी रुपये बारह हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। जनभागीदारी निधि की उपलब्धता के अनुसार मानदेय घटाया या कम किया जा सकता है।

अतिथि विद्वान को किसी भी हिसाबत से महाविद्यालयीन स्थापना के अर्न्तगत नहीं माना जाएगा तथा वे लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अर्न्तगत लोक सेवक नहीं माने जावेंगे।

बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण के प्राचार्य इस व्यवस्था को समाप्त कर सकेंगे। अतिथि विद्वान महाविद्यालय में अनुशासित एवं गरिमा पूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे। अध्यापन कार्य का निष्पादन प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार करेंगे। अध्यापन कार्य के अतिरिक्त भी प्राचार्य द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य सम्पन्न करना अनिवार्य होगा। आपको महाविद्यालयीन समय प्रातः 7.00 से दोपहर 1.40 तक रुकना अनिवार्य होगा। यदि आप बिना अनुमति के अपने कर्तव्य से 03 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहते हैं, तो आपकी सेवाएं स्वतः समाप्त मानी जावेंगी।

आमंत्रण पत्र के पूर्व आपको इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि आपके विरुद्ध न्यायालय अथवा पुलिस में कोई आपराधिक प्रकरण विद्यमान नहीं है साथ ही आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं हैं।

संयोजक
चयन समिति



पू. क्रमांक - /स्थापना/2015

प्रतिलिपि- सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर विज्ञान शास. निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर।
2. ग्रंथपाल, शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर।
3. लेखापाल, शासकीय निर्भय सिंह पटेल विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर।




(डॉ. शोभा जोशी)

प्राचार्य
Principal
शास. निर्भय सिंह पटेल विज्ञान
Govt. Nirbhay Singh Patel
Science College, INDORE
इन्दौर, दिनांक


(डॉ. शोभा जोशी)

Principal
शास. निर्भय सिंह पटेल विज्ञान
Govt. Nirbhay Singh Patel
Science College, INDORE